

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक — एफ 2 (ग) एसीपी./81-111/अलेसे-1/ ४३४९-५२ दिनांक— २२-०४-२०१३

**कार्यालय आदेश संख्या २९/२०१३-१४**

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11(7)एफडी/खल्स/2008/ दिनांक 12.9.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने वानिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजावीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या ५ में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का उत्तीर्ण एसीपी पीडी-2, ३३००-३४८०० पे-बैंड एवं ग्रेड-पे ५८०० स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम लेखाकार (संवेदी)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	एसीपी स्वीकृति दिन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	राधाकिशन राठी	24.11.1954	23.01.1984	23.01.2011	
2.	शशाधिन शुक्ला	15.08.1955	16.07.1983	16.07.2010	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 से वी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त उल्लेखित लेखाकारों के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग वो आदेश प. 14 (88) वित्त/नियम/०८ दिनांक 27.07.12 द्वारा प्राप्त स्वर्णीकरण के आधार पर यत् ९ वर्षों में से ७ वर्षों की एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि वो वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिव्यूल प्रदिविट होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयात्मक द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों वी सेवापुस्तिका में वी जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयात्मक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकारों एसीपी स्वीकृत तिथि वो राजस्थान सिविल सेवा (मुनरीषित वेतनमान) 2003 मे पे-ग्रेड 4200 मे वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

संक्षेप  
निदेशक

क्रमांक — एफ 2 (ग) एसीपी./81-111/अलेसे-1/ ४३४९-५२ दिनांक— २२-०४-२०१३  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विभागात्मक /कार्यालयात्मक
2. श्री लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फार्मल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)

अतिरिक्त निदेशक (कार्यक्रम- १)